Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 10, Issue 1 | May 2022 - October 2022 | pp. 158-162

महिला सशक्तिकरण एवं दलित महिलाओं की स्थिति : चुनौतियाँ एवं समाधान

ओमप्रकाश
शोधार्थी
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रकृति से स्त्री-पुरुष दोनों समान रूप से जन्म लेते हैं। लेकिन समय व परिस्थितियों के अनुसार स्त्री के साथ भेदभाव हुआ है। उसे समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं हो सकी है। ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें सभा व समिति में भाग लेने का अधिकार था लेकिन मध्यकाल में स्थिति खराब होने लगी। वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति मे सुधार आ रहा है, महिलाओं में भी अधिकारों की प्राप्ति हेतु चेतना का विकास हो रहा है। अतः वे भी अधिकारों की प्राप्ति हेतु निरन्तर संघर्षशील बनी हुई हैं। स्वतन्त्रता के बाद न केवल भारत अपितु राजस्थान में भी स्त्री के सभी अधिकारों जिससे उसका सशक्तिकरण तथा विकास को नया आयाम मिला है। महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम नैरोबी में सन् 1985 में हुई। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना, जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत में महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में प्रथम प्रयास संवैधानिक संशोधन 93वें व 94वें से प्रारम्भ हुआ है। इन संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। दलित समुदाय की महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का गठन किया गया है। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति भी विशेषकर दलित महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है जो कि विकास की ओर एक अग्रसर कदम है।

संकेताक्षर—*सशक्तिकरण, वंचित वर्ग, दलित महिला, योजनाएँ, प्रवर्तन तन्त्र, अधिनियम*

प्रस्तावना

प्राचीन काल में नारी के सम्बन्ध में धारणा थी कि ''यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता" लेकिन पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति बदलती गई और बदलते आधुनिक काल में ऐसी हो गई जिसके लिए राष्ट्र कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है कि—

अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

21वीं सदी में नारी भी कानून की दृष्टि से अब अबला नहीं सबला है। आज नारी भी विश्व जगत में उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है जितना की पुरुष है। लेकिन आज भी राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते है तो महिलाएँ सदियों से शोषित, उत्पीड़ित, घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं, उनके साथ माता के गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक भेदभाव किया जाता है। इस पर समाज द्वारा कम ही चिंता जताई गई है। समाज मानकर चलता है कि ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं नैसर्गिक है। समाज की इस भूल को कानून ने 'समानता' जीवन का अधिकार की कसौटी पर जाँचा-परखा है और सतत् कोशिश भी की है, यह बताती कि स्त्री भी एक 'इन्सान' है और उसके अधिकार भी पुरुषों के बराबर है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी लेकिन समय के बदलाव के परिणामस्वरूप

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद संविधान में किये गये अनेक प्रावधानों के जरिये महिलाओं की स्थिति में क्रमशः गुणात्मक सुधार अवश्य हुआ है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अब भी वंचित समुदाय की महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका है। उनकी कमजोर स्थिति के अनेक कारण है विशेषतः शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक परम्पराएँ, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी आदि की असमानता के कारण उनकी निरन्तर स्थिति बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम नैरोबी सम्मेलन (1985) के बाद में प्रारम्भ हुई। इसके बाद विश्व के अनेक भागों में इस पहल ने एक आन्दोलन का रूप ले लिया जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर सहभागिता निभाने तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जैसे अधिनियमों का गठन किया गया। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हो रही है। दलित समुदाय की महिलाएँ भी गरीबी से बाहर निकलकर राजनीतिक पटल पर आ रही है।

परिकल्पना

उपर्युक्त अवधारणाओं, प्रस्थापनाओं एवं उद्देश्य के आधार पर प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ अपनाई गई है—

- महिला सशक्तिकरण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विधिक पहलुओं का समावेश हो सकेगा।
- वैश्विक स्तर पर नारीवादी समाज को सकारात्मक दिशा मिल सकेगी।
- राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिल सकेगा।
- लोकतान्त्रिक मूल्यों को वंचित महिलाएँ को भी पहचान मिल सकेगी।
- सामूहिक निर्णय लेने में महिलाओं की सोच शक्ति का विकास हो पायेगा।
- परिवर्तन व विकास की मुख्य धारा में पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त करने हेतु अपना मनोबल ऊँचा कर पायेगी।

अनुसंधान प्रविधि

प्रस्तुत शोध में सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक एवं वैधानिक विवेचन के पश्चात् आनुभाविक शोध की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। शोध में महिला मानवाधिकार व सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राथमिक स्रोतों व द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित करके उनका विश्लेषण कर विवेचन का प्रयास किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर बनाये गये विभिन्न कानूनों के माध्यम से महिलाओं में सशक्तिकरण हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है।

शोध के उद्देश्य

- महिलाओं को रूढ़िवादी धारणाओं से बाहर निकालना।
- महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उद्देश्य महिलाओं की प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना
- राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।
- महिलाएँ अपनी क्षमता को साकार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकेगी।
- महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- महिला सशक्तिकरण से भावी पीढ़ी को एक नया आधार मिल सकेगा।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा के तहत महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसे आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है। परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के सन्दर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 बनाई तथा वर्ष 2001 को महिला

सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि महिलाओं की मजबूत स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्रता के पश्चात सात दशकों में समाज में अनेक परिवर्तन हुए है जिसमें महिलाओं की स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ है लेकिन वंचित समुदाय विशेषकर दलित महिलाओं की स्थिति आज भी संतोषजनक नहीं है। आज भी उन्हें अस्पृश्यता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दिशा में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, नीति-निर्देशक तत्वों में पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किये गये है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान ने न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए अवसर उपलब्ध कराये बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि के लिए एक क्रान्तिकारी कदम साबित हुआ है। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं ताकि गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्षमता का विकास हो सके। राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किये हैं जैसे—कानूनी जागरूकता, पारिवारिक महिला लोक अदालतें, विचार गोष्ठी, कार्यशाला, सलाह मशविरा कार्य, अधिकारों की प्राप्ति हेतु चेतना का विकास आदि कार्य किया है। समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक कुप्रथाओं, हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, उत्पीड़न, शोषण, अस्पृश्यता, अपराध आदि को रोकने के लिए समय-समय पर आयोग ने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया है।

दलित महिलाओं की स्थिति

आर्थिक विषमताएँ एवं दलित महिलाओं के मानवाधिकार में निकट का सम्बन्ध है। भारतीय समाज व्यवस्था में विशेष रूप से राजस्थान राज्य में आज भी दलित महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो दलित वर्ग भूमिहीन है और मात्र 53 प्रतिशत महिलाएँ खेतिहर मजदूर है जिनकी दैनिक मजदूरी इतनी कम है कि जीविकोपार्जन करना भी कठिन हैं, क्योंकि कृषि कार्य केवल अल्प समय, मौसमी एवं प्रकृति पर निर्भर है जिससे अधिकतर समय दलित महिलाएँ बेरोजगार ही रहती है और आर्थिक तंगी व गरीबी की मार झेलती रहती है। यद्यपि राजस्थान में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम लगभग 52.1 प्रतिशत (शहरी साक्षरता 70.7 प्रतिशत व ग्रामीण साक्षरता 45.8 प्रतिशत) है। किन्तु जहां तक दलित महिलाओं की साक्षरता की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी साक्षरता दर मात्र 15.49 प्रतिशत ही है, जबकि आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में दलित महिलाएँ आज भी अत्यन्त पिछड़ी स्थिति में है।

दलित महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक प्रथाएँ एक कलंक—राजस्थान में आज भी कई समाजों में देवदासी प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अन्तर्गत सवर्ण जाति के सामन्त तथा साहूकार लोग दलित महिलाओं का शोषण करते है। यह ऐसी रूढ़िवादी प्रथा है जिसमें समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्थानीय देवता (सवर्ण, सेठ, साहूकार) को समर्पित कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं की मौन दासता बनी रहती है। इस सामाजिक बुराई के अलावा मैला ढोने वाली दलित महिलाएँ अत्यन्त उत्पीड़ित, शोषित, अत्याचार से पीड़ित है। आज भी गाँवों में इस प्रथा को देखा जाता है जिसका कोई समाधान नहीं हुआ है। दलित समुदाय के साथ हमेशा से ही अस्पृश्यता का व्यवहार हुआ है , सवर्ण लोग दलित महिलाओं को अपने घर के अन्दर नहीं आने देते, सार्वजनिक जल स्रोतों से उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता है, उनसे केवल साफ सफाई का कार्य करवाया जाता है। दलित महिलाओं के साथ आज भी घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, यौन उत्पीड़न, अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाता है, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न कानून बनाये गये है लेकिन व्यावहारिक रूप में यह कानून पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहे है।

महिला सशक्तिकरण एवं मानवाधिकार—मानव के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदान किये गये अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार एवं मूल स्वतन्त्रताएँ मानवीय गुणों के विकास और सम्बन्धित आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में सहायक होती हैं। अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार एवं अन्य अमानवीय कृत्यों के विरुद्ध अनेक प्रयास किये गये जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियम 1979, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय व्यवहार को रोकने हेतु कन्वेशन 1984, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966, आदि मानवाधिकार प्रदत्त किये गये है। राष्ट्र का यह मौलिक

तथा नैतिक कर्तव्य है, कि वे सभी स्त्री-पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करें तथा उनकी रक्षा करें।

दलित महिला एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान—भारतीय संविधान में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं दलित महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें विभिन्न अनुच्छेदों में संरक्षण प्रदान किया गया है—

अनुच्छेद-14—इस अनुच्छेद में समस्त नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया जाता है। इसमें महिला-पुरुष, दलित, सवर्ण, अल्पसंख्यक आदि के आधार पर समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद-15—राज्य के किसी भी नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए पद का आरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद-17—इसमें अस्पृश्यता का अन्त किया गया है। किसी भी महिला-पुरुष विशेषकर दलित महिलाओं के साथ अस्पृश्य व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सभी स्त्री-पुरुष और समुदाय एक समान होते है।

अनुच्छेद-39(क)—इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39(क) में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है।

अनुच्छेद 42—इस अनुच्छेद में राज्य कार्य की न्यायसंगत और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद-44—इसमें समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है।

अनुच्छेद-46—राज्य विशेष देखभाल द्वारा कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध हर तरह से रक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-243(घ)—इस अनुच्छेद में महिलाओं को पंचायत स्तर पर एक तिहाई आरक्षण प्राप्त है। राज्य विधान मण्डल के नियमों के अनुसार दलित महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243(घ) के तहत शहरी निकायों में महिलाओं एवं दलित महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण प्राप्त है। पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 93वें संविधान संशोधन व 94वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया जो महिला सशक्तिकरण हेतु बहुत बड़ा कदम है।

महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाये गए विभिन्न कानून

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990
- घरेलू हिंसा से बचाव अधिनियम,2005
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1856
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006
- मातृत्व लाभ अधिनियम,1961
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम),1989
- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तरजातीय विवाह योजना
- इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
- आपकी बेटी योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना
- जागृति बैक टू वर्क योजना

इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में विशेषकर प्रावधान किये गये है। समय-समय पर पारित विभिन्न अधिनियमों ने महिलाओं के शोषण में कमी की है। भारतीय समाज में विशेषकर दलित महिलाओं का शोषण ज्यादा हुआ है। अतः केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा उनके हितों का संरक्षण किया जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का विकास कार्य कर रही है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष तौर पर प्रस्तुत आलेख का मुख्य उद्देश्य वंचित समुदाय की महिलाओं विशेषकर दलित महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को जानना तथा उन कारकों की पहचान करना है जो

दलित महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव आदि तत्व जो इनके विकास में बाधक बने हुए हैं और ऐसे कारकों की भी पहचान करना जिसके कारण उनकी स्थिति सुदृढ़ की जा सके। वर्तमान समय की माँग के अनुसार महिला सशक्तिकरण सबसे व्यापक तत्व है क्योंकि महिला वर्ग सदियों से अनेक तरह से पीड़ित होती रही है। उसे हमेशा भेदभाव, लिंगभेद, हिंसा, उत्पीड़न आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, आज भी महिलाओं का राजनीतिक, सामाजिक, प्रतिनिधित्व बहुत कम बना है। इसे सुधारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न कानूनों को शत-प्रतिशत व्यावहारिक रूप देने से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है। महिलाओं को भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। अतः उन्होने सामाजिक पद,प्रतिष्ठा और न्याय प्राप्त होना आवश्यक है। पंचायतीराज संस्थाओं में आज महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए अवसर उपलब्ध कराये बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। इसी के साथ दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज, यौन उत्पीड़न, मैला ढोना जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया है। संक्षेप में यदि दलित महिलाओं को पूर्णरूप से सशक्त करना है तो उन्हें स्वयं भी आगे आना होगा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना होगा और साथ ही सरकार को भी जो कानून महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाये गये उनके प्रवर्तन को सुनिश्चित कराया जा सके अन्यथा समस्त प्रक्रिया केवल कागजी ही होगी जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति से अत्यन्त दूर होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिर्स जयपुर, 2011, पृ.सं. 119
2. एस.विक्रम, दलित महिलाएँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य, श्री नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 41
3. डॉ. गर्ग, ममता, जनजातीय महिला सशक्तिकरण, अल्फा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 286
4. डॉ. पेटल भरत आर, भारतीय मानवाधिकार एवं समाज, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर (राज.), 2018, पृ.सं. 20
5. बारोट, हिरेन जे., दलित एवं मानवाधिकार, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर, 2018, पृ.सं. 153
6. डॉ. दवे, दीपिका वी., 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ.सं. 22
7. खण्डेला, मानचन्द, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर (राज.), 2008, पृ.सं. 139
8. महावर, सुनील, भारत में महिला सशक्तिकरण विविध आयाम और चुनौतियाँ, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान, 2013, पृ.सं. 21
9. प्रो. त्रिपाठी, मधुसूदन, भारत में मानवाधिकार, ओयेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2017, पृ.सं. 78
10. डॉ. शर्मा, अनिल कुमार, मानव अधिकार मुद्दे एवं चुनौतियाँ, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर (राज.), 2018, पृ.सं. 88
11. पारीक, सहदेव, मानवाधिकार एवं महिलाएँ, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर, 2015, पृ.सं. 89
12. डॉ. भण्डारी, सुनंदा, महिला सशक्तिकरण एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015, पृ.सं. 42
13. श्रीवास्तव, सुधारानी मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 242
14. डॉ. विप्लव, महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ (उत्तर प्रदेश), 2013, पृ.सं. 120
15. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.आरएससीडब्ल्यू.राजस्थान.जीओवी.इन